

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 237]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 17 अप्रैल 2018—चैत्र 27, शक 1940

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्र. एफ-बी-1-01-2018-2-पांच-(29).—मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 3-ख के उपनियम (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-52-2010-2-पांच (3) दिनांक 28 जनवरी, 2011 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, देशी मदिरा के विनिर्माण तथा बोतल भराई के लिए किसी विनिर्माणी के निर्माण तथा संचालन की अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस रुपये 2,50,000/- निर्धारित करती है.

यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल, 2018 से प्रवृत्त समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2018

क्र. बी-1-01-2018-2-पांच-(29).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-01-2018-2-पांच-(29), दिनांक 17 अप्रैल, 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अदिति कुमार त्रिपाठी, उपसचिव.

Bhopal, the 17th April 2018

No. F-B-1-01-2018-2-V-(29).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (12) of rule 3-B of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995 and in supersession of this department's Notification No. B-1-52-2010-2-Five (3) dated 28th January, 2011 issued in this behalf, the State Government, hereby, prescribes the annual Licence fees of Rs. 2,50,000/- for the licence to construct and run a manufactory for manufacturing and bottling of country liquor.

2. This notification shall be deemed to have come into force from 1st April, 2018.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ADITI KUMAR TRIPATHI, Dy. Secy.

473